भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 408

05 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लक्ष्य और आवंटन

408. श्री वाइकोः

श्री सतीश चंद्र दुबेः

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई (यू)) के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में आवास से संबंधित विशेषकर बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए किसी लक्ष्य की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के लिए वर्ष-वार समर्पित और अभी तक व्यय की गई कुल धनराशि कितनी-कितनी है; और

(ग) बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लक्ष्य वर्ष 2022 तक देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है। स्कीम के तहत, भागीदार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पात्र लाभार्थियों की आवास आवश्यकता का आकलन करने के लिए मांग सर्वेक्षण किया है । अब तक, बिहार (6.44 लाख), तमिलनाडु (8.30 लाख), आंध्र प्रदेश (13.78 लाख) और तेलंगाना (4.00 लाख) सहित लगभग 112 लाख आवासों की मांग का आकलन वैधीकृत हैं।

(ख) : 27.01.2020 की स्थिति के अनुसार पीएमएवाई (यू) के तहत 1.63 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता सहित कुल 1.03 करोड़ आवासों का निर्माण स्वीकृत किया गया है । प्रतिबद्ध और जारी केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है ।

(ग) : स्कीम के तहत कवर किए गए ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार (बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित) ब्यौरा अनुलग्नक-2 में दिया गया है

अनुलग्नक-1

दिनांक 05.02.2020 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 408 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई (यू) के तहत प्रतिबद्ध और खर्च की गई / जारी की गई केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा

वित वर्ष	**प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता (करोड. रुपये में)**	**जारी/खर्च केंद्रीय सहायता (करोड. रुपये में)**
2015-16	12,192.31	3,222.50
2016-17	14,244.80	4,597.68
2017-18	37,914.72	16,531.21
2018-19	60,237.88	25,071.84
2019-20	38,571.16	14,253.27
कुल	**1,63,160.86**	**63,676.50**

अनुलग्नक-2

दिनांक 05.02.2020 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 408 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई (यू) के तहत स्वीकृत ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमानऔर निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	612
2	आंध्र प्रदेश	**19,96,737**
3	अरुणाचल प्रदेश	7,229
4	असम	1,17,046
5	बिहार	**3,10,361**
6	चंडीगढ़ (यूटी)	139
7	छत्तीसगढ़	2,52,427
8	दादर और नगर हवेली (यूटी)	4,125
9	दमन और दीव (यूटी)	1,179
10	दिल्ली (यूटी)	8,456
11	गोवा	417
12	गुजरात	6,13,519
13	हरियाणा	2,59,368
14	हिमाचल प्रदेश	9,735
15	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	54,445
16	झारखंड	1,95,903
17	कर्नाटक	6,26,052
18	केरल	1,27,250
19	लद्दाख (यूटी)	1,763
20	लक्षद्वीप (यूटी)	-
21	मध्य प्रदेश	7,75,784
22	महाराष्ट्र	11,14,653
23	मणिपुर	42,811
24	मेघालय	4,671
25	मिजोरम	30,261
26	नागालैंड	31,991
27	ओडिशा	1,52,260
28	पुदुचेरी (यूटी)	13,168

29	पंजाब	85,759
30	राजस्थान	1,89,933
31	सिक्किम	530
32	**तमिलनाडु**	**7,51,343**
33	**तेलंगाना**	**1,97,466**
34	त्रिपुरा	81,845
35	उत्तर प्रदेश	15,47,387
36	उत्तराखंड	37,765
37	पश्चिम बंगाल	4,01,399
कुल*		**100,56,923**

*सीएलएसएस के तहत 11,134 आवासों सहित जिनके के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों को हाल ही में धनराशि जारी की गई है।

*****